

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Misc. Appeal No. 3501/2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र मित्रोका।

:: आदेश ::

08.05.2017

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किये जावें।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी /—